न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 443/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भंवरलाल पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी बेनण, तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1– सरपंच ग्राम पंचायत चोढा, तहसील पीपाडशहर, जोधपुर 2– भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाडशहर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 3–12–2015 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 161/2014 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 1 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि ग्राम चोढा के खसरा नंबर 457 गै.मु. अंगोर मे से 5 बीघा भूमि आबादी मे परिवर्तन की गई थी जिसको सरपंच ग्राम पचांयत ने निर्धारित राशि जमा करवाकर नामांतरकरण संख्या 576 स्वीकृत किया तथा उक्त आबादी मे संपरिर्तित भूमि की तरमीम मनमाने रूप से कर दिये जाने पर उक्त तरमीम को दुरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच एवं सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–12–2015 उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 मे कंवर नही होने से खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । जिनकी बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को नोटिस जारी करने पर सरपंच ग्राम पंचायत चोढा द्वारा प्रस्तुत जवाब मे यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि ग्राम बेनण की आबादी बढ जाने के कारण खसरा नंबर 457 मे से 5 बीघा भूमि आबादी मे दिनांक 2–11–89 को आवंटित की गई थी उक्त आदेश के अनुसरण मे नामांतरकरण संख्या 576 के जरिये खसरा नंबर 457/3 रकबा 5 बीघा गै.मु.आबादी दर्ज की गई परंतु जहां आबादी बसी हुई है

वहां तरमीम नही कर आबादी से दूर तरमीम कर दी गई । राजस्व नक्शे मे जो हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गई है, वहां पर किसी प्रकार की आबादी नही होकर अंगोर की जमीन है, जो वर्तमान मे खाली है । खसरा नंबर 456 के चिपती आबादी आबाद है इसलिए तरमीम दुरस्त की जाती है तो पंचायत को कोई एतराज नही है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब मे भी खसरा नंबर 457 किस्म गै.मु.अंगोर जिसमे से 5.00बीघा गै.मु.आबादी जरिये नामांतरकरण संख्या 576 से घोषित हुई, जिसका प्रस्तावित गै.मु.आबादी नामांतरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा व वर्तमान मे पटवारी के पास उपलब्ध लट्ठा नक्शा मे तरमीम मे अंतर है । उक्त दोनो रिपोर्ट अपीलांट के कथनो को समर्थन करते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 के अन्तर्गत नही आने का उल्लेख करते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–12–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0गण का जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन भूमि की किस्म गै.मु.अंगोर जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे होने से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब अनुसार खसरा नंबर 457 मे से 5 बीघा भूमि आबादी मे दिनांक 2–11–89 को आवंटित की गई थी उक्त आदेश के अनुसरण मे नामांतरकरण संख्या 576 के जरिये खसरा नंबर 457/3 रकबा 5 बीघा गै.मु.आबादी दर्ज की गई, शेष भूमि गै.मु.अंगोर के रूप मे रेकर्ड मे दर्ज है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे खसरानंबर 457/3 की तरमीम पूर्व की आबादी खसरा नंबर 456 एवं586 के मध्य करवाना चाहता है, जो तरमीम शुद्धि का मामला नही होकर अन्यत्र तरमीम चाहता है ।

इसके अलावा खसरा नंबर 457 की किस्म गै.मु.अंगोर भूमि मे से 5 बीघा भूमि के आबादी हेतु आवंटन आदेश की अनुपालना मे नामांतरकरण संख्या 576 स्वीकृत किया गया तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 457/3 रकबा 5 बीघा गै.मु. आबादी के रूप मे दर्ज की गई, ऐसी स्थिति मे अन्यत्र तरमीम विधिक रूप से

गलत होगी क्योकि खसरा नंबर 457 की शेष भूमि की किस्म गै.मु.अंगोर होने से प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी की होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट/प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि अपीलाधीन भूमि की तरमीम करने मे लिपिकीय त्रुटि कैसे हुई, वस्तुतः अपीलांट तरमीम को गलत मानते हुए खसरा नंबर 456 एवं 586 के मध्य तरमीम कराना चाहता है, जो धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–12–2015 मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–12–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर